

**निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक  
कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द**

प्र0सं0 13/2019/प्रा0पत्र/

निर्णय दिनांक :- 11.09.2019

**अनवान**

1. श्री कन्हैया लाल पिता मोहन लाल जाति महाजन आयु बालिग निवासी पारडी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्राथी

**बनाम**

1. श्री रेवता पिता बगता जी जाति गुर्जर निवासी बंजारीया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री नारू पिता रायमल जी जाति गुर्जर निवासी बंजारीया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री सवाई राम पिता प्रताप जी जाति गुर्जर निवासी बंजारीया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री नाथु पिता खेमा जी जाति गुर्जर निवासी बंजारीया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्री घिसा पिता उमा जी जाति गुर्जर निवासी बंजारीया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज.ले.एक्ट**

उपस्थित :- 01. श्री ईन्द्रमल कंसारा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम बंजारीया पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 4/30 के आराजी नम्बर 110 रकबा 0.19 विस्वा भूमि, आराजी नम्बर 111 रकबा 6.17 बीघा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 7.16 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा कास्त हैं एवं इसका उपयोग - उपभोग भी प्रार्थी ने ही कर रखा हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से कास्त करता चला आ रहा हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि क चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से लगते हुए पडौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता हैं। मौके पर अशान्ति रहती हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि को अपना बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखता हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रांथी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

**सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द**


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये।

कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं। कभी प्रार्थी की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती है तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी शान्तिपूर्वक उसकी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावे।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम बंजारीया पटवार हल्का पारडी तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बंजारीया पटवार हल्का पारडी देवगढ़ के खाता नम्बर 4/30 के आराजी नम्बर 110 रकबा 0.19 विस्वा भूमि, आराजी नम्बर 111 रकबा 6.17 बीघा भूमि कुल कित्ता 2 कुल रकबा 7.16 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्र जारी करा मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द अधिकारी  
देवगढ़ जिला-राजसमन्द